

बून्दी जिले मे भूमि उपयोग प्रतिरूप का विश्लेषणात्मक अध्ययन

Analytical Study of Land Use Pattern in Bundi District

Paper Submission: 10/11/2021, Date of Acceptance: 23/11/2021, Date of Publication: 24/11/2021

सारांश

मानव भूमि को कृषि योग्य बनाता है, कम उपजाऊ को अधिक उपजाऊ बनाता है तथा एक फसली क्षेत्र को बहु फसली क्षेत्र में परिवर्तित करता है, जब भू-भाग का प्राकृतिक स्वरूप लुप्त हो जाता है और मानवीय क्रियाओं के योगदान से एक नया भू दृश्य जन्म लेता है, इसे ही भूमि उपयोग कहते हैं, अर्थात् एक निश्चित प्रयोजन व उद्देश्य से भूमि का किसी भी रूप में उपयोग ही भूमि उपयोग कहलाता है।

Human makes the land cultivable, makes less fertile more fertile and converts one cropped area into multi cropped area, when the natural nature of the land disappears and a new landscape is born due to the contribution of human activities. It is called land use, that is, the use of land in any form for a certain purpose and purpose is called land use.

मुख्य शब्द: भूमि उपयोग, एक फसली क्षेत्र, बहु फसली क्षेत्र, कृषि व अकृषि कार्य, आरक्षित वन, सरक्षित वन अवर्गीकृत वन, ऊषर भूमि, जोत रहित भूमि, गोचर भूमि, बंजर भूमि, वास्तविक बोया गया क्षेत्र, फसल उत्पादकता, फसल गहनता।

Key words: Land Use, Single Cropped Area, Multi Cropped Area, Agriculture And Non-Agriculture Work, Reserve Forest, Protected Forest, Unclassified Forest, Urn Land, Uncultivated Land, Grazing Land, Barren Land, Actual Sown Area, Crop Productivity, Crop Intensity

प्रस्तावना

बून्दी जिला राजस्थान के दक्षिणी-पूर्व में स्थित राज्य का महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां विविध प्रकार के भूमि उपयोग देखने को मिलते हैं, जो कृषि उत्पादन की दृष्टि से भी राज्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इसे 'छोटी काशी' एवं 'द सिटी ऑफ स्टेपवेल' के नाम से भी जाना यह 24°59'11" से 25°53'11" उत्तरी अक्षांश तथा 75°19'30" से 76°19'30" पूर्वी देशान्तर के मध्य फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल 5813.85 वर्ग किमी. है। बून्दी जिले की महत्वपूर्ण विशेषता यह है की इसके उत्तर-पूर्व ओर दक्षिण-पश्चिम दिशाओं में दो पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई हैं, यह क्षेत्र मुख्यतः विन्ध्याचलीय शैली से बना है, इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सथूर गाँव में 1793 फीट ऊंची है। मध्यवर्ती पर्वत श्रृंखला इस जिले को उत्तर पश्चिम ओर दक्षिण-पूर्व दो भागों में विभाजित करती है। जिले का उत्तरी-पूर्वी भाग अधिकांश पर्वतीय है, परन्तु दक्षिणी-पूर्वी मैदान में उपजाऊ मिट्टी मिलती है। चम्बल नदी कोटा व बून्दी जिले की सीमा बनाती है। मेज, मांगली, कुराल, घोड़ापछाड़ तालेरा, चाकम इन्द्राणी आदि प्रमुख नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के निम्न उद्देश्य हैं।

1. अध्ययन क्षेत्र के भौगोलिक स्वरूप का विश्लेषण करना।
2. बून्दी जिले में भूमि उपयोग प्रतिरूप की भिन्नता एवं स्थानिक वितरण का अध्ययन करना।
3. पिछले दो दशकों में जिले में भूमि उपयोग प्रतिरूप में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना।
4. जनसंख्या वृद्धि एवं कृषि सुविधाओं के विस्तार का भूमि उपयोग प्रतिरूप का पडने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।

विधितंत्र

यह शोधपत्र प्राथमिक एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन क्षेत्रीय अवलोकन एवं मौखिक साक्षात्कार के माध्यम से तथा द्वितीयक आंकड़ों

मोहम्मद उस्मान


सह आचार्य,
भूगोल विभाग,
आस्था महाविद्यालय,
इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत

सुरेशचन्द्र मालव

सहायक आचार्य,
शिक्षा विभाग,
आस्था महाविद्यालय,
इटावा, उत्तर प्रदेश, भारत

जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं से प्राप्त किये गए हैं।

राजस्थान में बून्दी जिले के स्थिति भारत



बून्दी जिला प्रशासनिक मानचित्र

बून्दी जिले में भूमि उपयोग

भूमि का उपयोग कृषि व अकृषित कार्यों, वन, उद्यानों, आवास क्षेत्रों, सड़क, पार्क तथा विभिन्न नगरीय एवं ग्रामीण कार्यों में होता है, विश्व के अलग-अलग क्षेत्रों में भूमि की विशेषताओं के आधार पर भूमि का उपयोग विभिन्न रूपों में किया जाता है।

भूमि उपयोग के आकड़ों से किसी भी प्रदेश के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। Iफोक्स के अनुसार - निहित भूमि विशेषताओं के आधार पर किसी क्षेत्र का वास्तविक प्रयोजन के साथ उपयोग को भूमि उपयोग कहा जाता है।

1949 में स्थापित TCCAS - "टेक्निकल कमेटी ऑफ कंडीशन्स ऑफ एग्रीकल्चरल स्टेटिस्टिक्स" द्वारा निश्चित आधारों पर भूमि का सर्वमान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया इन्हीं आधारों पर बून्दी जिले का भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

तालिका संख्या - 1

बून्दी जिले में भूमि उपयोग वर्गीकरण 1991-2011

भूमि उपयोग	क्षेत्रफल प्रतिशत में		
	1991	2001	2011
वन	23.55	24.24	25.34
कृषि अयोग्य भूमि	16.10	15.38	15.34
जोत रहित भूमि	10.36	9.91	9.20
पडत भूमि	7.25	10.02	6.70
वास्तविक बोया गया क्षेत्र	42.74	40.45	44.27
समस्त बोया गया क्षेत्र	56.49	59.16	71.04
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र वास्तविक बोया गया क्षेत्र प्रतिशत	32.18	46.27	26.76
कुल भौगोलिक क्षेत्र	100.0	100.0	100.0

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.) बून्दी

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि बून्दी जिले में वर्ष 1991में वन क्षेत्र 23.55 प्रतिशत था जो 2011 में बढ़कर 25.34 प्रतिशत हो गया। जिले में कृषि एवं भूमि सुधार कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन के कारण कृषि अयोग्य भूमि प्रतिशत 16.10 प्रतिशत से घटकर 15.34 प्रतिशत रहा। साथ ही जिले में कृषि क्षेत्र में बढ़ती सुविधाओं के प्रभाव स्वरूप जोत रहित भूमि का क्षेत्र भी जो 1991में 10.36 प्रतिशत जो वर्ष 2011 में 9.20 प्रतिशत ही रह गया। जिले में सिंचाई के साधनों की कमी वर्षा की असामयिकता एवं अनियमितता के कारण पडत भूमि 1991 में 7.25 प्रतिशत थी जो वर्ष 2001 में 10.02 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2011में 6.70 प्रतिशत भूमि पडत रही।

समस्त बोये गए क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि देखने को मिलती है यह 1991 में 56.49 प्रतिशत था जो 2011में बढ़कर 71.04 प्रतिशत हो गया। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र में कमी आयी है जो 2001 में 46.27 प्रतिशत से घटकर 26.76 प्रतिशत रहा है।

तालिका संख्या - 2
बून्दी जिले में तहसीलवार भूमि उपयोग 2018-19

भूमि उपयोग	तहसील											
	बून्दी		तालेडा		के.पाटन		इन्द्रगढ़		नैनवा		हिण्डोली	
	हेक्टे.	प्रति.	हेक्टे.	प्रति.	हेक्टे.	प्रति.	हेक्टे.	प्रति.	हेक्टे.	प्रति.	हेक्टे.	प्रति.
कुल भौगोलिक क्षेत्र	98018	16.84	94209	16.18	70613	12.13	66065	11.35	118995	20.44	134038	23.03
वन क्षेत्र	28179	19.65	34307	23.93	4641	3.23	10516	7.33	21171	14.77	44545	31.07
कृषि अयोग्य भूमि	16400	18.67	15812	18.00	12275	13.97	10179	11.59	11039	12.68	2230	25.19
जोत रहित भूमि	6440	13.21	9596	16.69	2989	6.13	4515	9.26	11632	23.87	13558	27.82
पडत भूमि	4396	11.97	5099	13.88	4442	12.09	7877	21.44	6196	16.87	8726	23.75
वास्तविक बोया गया क्षेत्र	42603	16.06	29395	11.28	46266	17.44	32978	12.43	68957	25.99	45079	16.99
समस्त बोया गया क्षेत्र	82284	16.72	56420	11.47	88110	17.90	58754	11.94	126842	25.78	79624	16.18
एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र	39681	17.50	27025	11.92	41844	18.45	25776	11.36	57885	25.52	34545	15.23

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)बून्दी

उक्त तालिका के अध्ययन से स्पष्ट है कि बून्दी जिले में सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र 23.03, वन क्षेत्र 31.07, कृषि अयोग्य भूमि 25.19, जोत रहित भूमि 27.82 तथा पडत भूमि 23.75 प्रतिशत हिण्डोली तहसील में है। जबकि न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र इन्द्रगढ़ में 11.35 प्रतिशत, वन क्षेत्र केशोराय पाटन 3.23 प्रतिशत, कृषि अयोग्य भूमि 11.59 प्रतिशत, जोत रहित भूमि तथा न्यूनतम पडत भूमि केशोराय पाटन में क्रमशः 6.13 व 12.09 प्रतिशत है। जिले में वास्तविक बोया गया एवं समस्त बोया गया क्षेत्र का सर्वाधिक भाग नैनवा में क्रमशः 25.99 व 25.78 प्रतिशत है एवं न्यूनतम तालेडा में क्रमशः 11.28 व 11.47 प्रतिशत है। एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग नैनवा में 25.52 प्रतिशत एवं न्यूनतम 11.36 प्रतिशत इन्द्रगढ़ में है।

वन क्षेत्र

वर्ष 1991 में बून्दी जिले में 23.55 प्रतिशत भू-भाग वन क्षेत्र था जो 2011 में बढ़कर 25.34 प्रतिशत हो गया लेकिन इसके बाद वन क्षेत्र में फिर से गिरावट आई है वर्ष 2018-19 में जिले का कुल वन क्षेत्र 24.63 प्रतिशत है।

बून्दी जिले में वर्ष 2018-19 में 982.54 वर्ग किमी. क्षेत्र पर वनों का विस्तार है I जो कुल क्षेत्रफल का 24.63 प्रतिशत है I इसे तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है I

(अ) आरक्षित वन	-	542.70 वर्ग किमी.
(ब) संरक्षित वन	-	430.86 वर्ग किमी.
(स) अवर्गीकृत वन	-	08.98 वर्ग किमी.

जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र डाबी वृत्त खण्ड के अन्तर्गत 403.31 वर्ग किमी. तथा न्यूनतम वन क्षेत्र केशोराय पाटन वृत्त खण्ड में 5.16 वर्ग किमी. है। इसका मुख्य कारण नहरी क्षेत्र होने से वन क्षेत्रों का कृषि भूमि में बदल जाना है।

कृषि अयोग्य भूमि

इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है

- (अ) कृषि के अतिरिक्त काम में ली गई भूमि
(ब) ऊसर भूमि

तालिका संख्या -3
बून्दी जिले में तहसीलवार कृषि अयोग्य भूमि

तहसील	कृषि अयोग्य भूमि प्रतिशत	
	2001	2019
बून्दी	37.35	18.67
तालेड़ा	-	18.00
के.पाटन	14.45	13.97
इन्द्रगढ़	12.19	11.59
नैनवा	11.25	12.57
हिण्डोली	24.79	25.20

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)बून्दी

बून्दी जिले में कृषि अयोग्य भूमि वर्ष 2001 में 15.38 प्रतिशत थी तथा वर्तमान में 15.09 प्रतिशत है। सर्वाधिक कृषि अयोग्य भूमि हिण्डोली तहसील में 25.20 प्रतिशत एवं न्यूनतम इन्द्रगढ़ में 11.59 प्रतिशत है।

जोत रहित भूमि

(पडत भूमि के अतिरिक्त)

वह भूमि जो कृषि के लिए उपयुक्त हो, लेकिन किसी कारण से उसे जोता नहीं जाता है जैसे पानी, खाद, सिंचाई के साधनों के अभाव में कृषि उत्पादन नहीं किया जा सकता है। इस भूमि को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है -

- (अ) अस्थाई चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि।
(ब) वृक्षों को झुण्ड तथा बाग।
(स) बंजड (कृषि योग्य भूमि)।

तालिका संख्या - 4
बून्दी जिले में जोत रहित भूमि (पडत भूमि के अतिरिक्त)

तहसील	जोत रहित भूमि	
	2001	2019
बून्दी	29.03	13.21
तालेड़ा	-	19.69
केशोराय पाटन	05.71	03.26
इन्द्रगढ़	10.60	09.26

नैनवा	25.29	23.87
हिण्डोली	29.37	27.82

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)बून्दी

वर्तमान जिले में सर्वाधिक जोत रहित भूमि 27.82 प्रतिशत हिण्डोली तहसील में एवं न्यूनतम 3.26 प्रतिशत के.पाटन तहसील में है। इथाई चारागाह एवं अन्य गोचर भूमि सर्वाधिक 23.52 प्रतिशत नैनवा तहसील में तथा न्यूनतम 9.13 प्रतिशत के.पाटन तहसील में है। कृषि योग्य बंजर भूमि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र हिण्डोली तहसील में 32.84 प्रतिशत एवं न्यूनतम के.पाटन तहसील में 3.26 प्रतिशत है। वर्ष 2001 में जिले में कुल जोत रहित भूमि 10.02 प्रतिशत जो 2011में 9.20 प्रतिशत रही तथा वर्ष 2018-19 में घटकर 3.37 प्रतिशत भूमि जोत रहित रह गई।

पडत भूमि

वह भूमि जो सिंचाई योग्य होते हुए भी किसी कारण उस भूमि पर कृषि कार्य नहीं होता उसे पडत भूमि कहते हैं। पडत भूमि दो तरह की होती है -

(अ) चालू पडत भूमि

(ब) अन्य पडत भूमि

चालू पडत भूमि में एक कृषि वर्ष में कोई फसल नहीं बोई जाती है। जबकि अन्य पडत भूमि में भूमि को 2-5 वर्ष तक पडत के रूप में रखा जाता है। वर्तमान में बून्दी जिले में 6.30 प्रतिशत भूमि पडत भूमि के अंतर्गत है, जिसमें 1.93 प्रतिशत चालू पडत व 4.37 प्रतिशत अन्य पडत भूमि है।

तालिका संख्या -5

बून्दी जिले में तहसीलवार पडत भूमि

तहसील	पडत भूमि प्रतिशत में	
	2001	2019
बून्दी	20.69	11.96
तालेड़ा	-	13.89
केशोराय पाटन	13.57	12.09
इन्द्रगढ़	23.79	21.44
नैनवा	23.96	16.87
हिण्डोली	17.99	23.75

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)बून्दी

बून्दी जिले में सर्वाधिक पडत भूमि 23.75 प्रतिशत हिण्डोली तहसील में तथा न्यूनतम पडत भूमि बून्दी तहसील में 11.96 प्रतिशत है।

वास्तविक बोया गया क्षेत्र

वास्तविक भूमि वह है, जो जोत के अंतर्गत आती है। फसल प्रारूप, फसलो की उत्पादकता, फसल गहनता इत्यादि का अध्ययन इस भूमि से सम्बंधित होता है।

तालिका संख्या -6

बून्दी जिले में तहसीलवार वास्तविक बोया गया क्षेत्र

तहसील	वास्तविक बोया गया क्षेत्र प्रतिशत में	
	2001	2019
बून्दी	29.23	16.72
तालेड़ा	-	11.46
केशोराय पाटन	18.02	11.70
इन्द्रगढ़	10.90	11.94

नैनवा	24.70	25.77
हिण्डोली	17.15	16.18

स्रोत: कार्यालय जिला कलेक्टर (भू.अ.)बून्दी

बून्दी जिले में वर्ष 2001में वास्तविक बोया गया क्षेत्र कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 40.45 प्रतिशत था जो वर्तमान में बढ़कर 45.58प्रतिशत हो गया I वास्तविक बोये गए क्षेत्र सर्वाधिक प्रतिशत नैनवा तहसील में 25.77 प्रतिशत एवं न्यूनतम तालेड़ा में 11.46 प्रतिशत है I

निष्कर्ष

प्रस्तुत शोध पत्र में बून्दी जिले के भूमि उपयोग के बदलते आयामों का अध्ययन एवं विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है,इस अध्ययन के अंतर्गत बून्दी जिले में वन क्षेत्र,कृषि अयोग्य भूमि,पडत भूमि के अतिरिक्त जोत रहित भूमि,पडत भूमि, वास्तविक बोया गया क्षेत्र,एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्र एवं समस्त बोये गये क्षेत्र का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है जिले में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या एवं विकास के कारण भूमि उपयोग के आयाम निरन्तर परिवर्तित होते जा रहे है, बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि भूमि का गहनतम उपयोग किया जा रहा है, बढ़ती जनसंख्या की आवासीय समस्या के समाधान के लिए वन भूमि एवं कृषि भूमि को ही आवासीय भूमि में बदला जा सकता है Iजिससे वास्तविक बोये गए क्षेत्र एवं वन क्षेत्र में गिरावट आ रही है।

क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि भूमि का उपयोग विवेक सम्मत तरीके से किया जाए,वन क्षेत्र को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये तथा जहाँ तक सम्भव हो कृषि अयोग्य भूमि ही आवासीय क्षेत्रों में बदली जाए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. जिला सांखिकीय रूपरेखा, जिला बून्दी, जनगणना निदेशालय जयपुर राजस्थान।
2. शर्मा, बी.एल.(1987) "कृषि भूगोल" साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
3. मामोरिया सी.,शर्मा, बी.एल.(2015) "आर्थिक भूगोल"साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा।
4. लेजली साइमन (1989)"कृषि भूगोल"मध्यप्रदेश,हिन्दी ग्रन्थ अकादमी,भोपाल।
5. सिंह,बी.बी.(1977) "कांसेप्ट ऑफ लैंड यूटीलाइजेशन, "इण्डियन ज्योग्राफिकल रिव्यू बोल्यूम - 2 पृष्ठ सं.52
6. नन्दकिशोर,(1996) "ग्रामीण राजस्थान में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के भौगोलिक आधार " पोइंटर पब्लिकेशन,जयपुर।
7. Chauhan, D.S.(1936),"Studies In the utllsation of agricultural land"Agra shIvIal and Co.
8. Coleman,E,(1969),"A Geographical model for land use analysIs"Geog 54 pp.43
9. Raj.K.N.(195)."AgrIcultural Development and DIstrIbutIon of land HoldIngs" Ind, Jour.Agr.Econ.30.1. pp.513